न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/390

प्रार्थना पत्र संख्या 90 / 2021 — तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभूलाल खटीक निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर।
2. ममतादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद खटीक निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण बशीरशाह पुत्र कजोड़शाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर एवं जुमरत पत्नि बशीरशाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2245 / 11966 रकबा 0.15 है0 साबिक ख0नं0 1724 वाके ग्राम खिरनी में आदेश दिनांक 11 / 07 / 2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 2245 / 11966 रकबा 0.15 है0 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का कभी कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 2245 / 11966 रकबा 0.15 है0 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटियो [illegible] पर कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी [illegible] 207[illegible] एवं [illegible]74 के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों [illegible] है। अन्त में पेरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू. राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 1970 (कृषि प्रयोजनार्थ) के नियम 14(4) पेश कर आवंटी जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभूलाल खटीक एवं ममता देवी पत्नि जगदीश प्रसाद खटीक निवासी मलारना डूंगर को आवंटित आराजी ख0नं0 2183/मिन–1, 2183/5 में से रकबा 1.00 बीघा का आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया है। तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभूलाल खटीक को जारी आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की है किन्तु अन्य दस्तावेजात यथा फर्द मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी रघुवरदयाल पुत्र रामदास बैरवा एवं नारायणी देवी पत्नि रघुवरदयाल बैरवा निवासी मलारना डूंगर के संलग्न कर रखे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।

अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) तहसीलदार मलारना डूंगर को प्रतिपेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर, कमी पूर्ति कर निर्धारित प्रपत्र में पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:44 IST
Reason: SelfAttested